Daitari in Orissa under the name of "Kalinga Steels (India) Limited" has earlier been cleared by Government of India. This plant is being set up in pursuance of a Memorandum of Understanding signed between Government of Orissa and Dr. Swraj Paul of the Caparo Group Limited. Government of Orissa have informed that Detailed Project Report is expected sometime by July 1994. They have also informed that 4000 acres of land has already been acquired.

कमजोर वर्गों के लिये आवास

1176. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये गैर सरकारी क्षेत्र के माध्यम से मकानों का निर्माण करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के लिये कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) क्या "सन् 2000 तक सभी के लिये आवास" नामक जैसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) इन चार महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, मध्यम और निम्न आय वर्गों के लोगों के लिये सरकारी सहायता से कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और क्या इन वर्गों के लोगों को उचित रियायती दरों पर मकान दिये जाते हैं और इस संबंध में लघुतम सीमा कितनी है; और

(ङ) आम जनता को आसान किस्तों पर मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक रिहायसी एकक के लिये किस्त की सीमा कितनी निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति में सहकारी और अन्य समुदाय आधारित संगठनों तथा निजी विकासकों को, लाभ-ग्रहियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न आश्रय सम्बन्धी कार्यकलापों शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया है। आवास मूल रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व होने के नाते वे अपने आवास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र को शामिल करने की पद्धति और सीमा का निर्णय करने में स्वतन्त्र हैं।

(ग) राष्ट्रीय आवास नीति का एक मुख्य लक्ष्य आगामी 10 वर्षों में गृह-विहीनता को कम करना है। राज्य सरकारों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं और कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गयी है।

(घ) एल आई जी/एम आई जी आवास के लिए केन्द्र सरकार की कोई सहायता सीधे नहीं दी जाती है। तथापि, एल आई जी और एम आई जी श्रेणियों के लिए आवास स्कीमें प्रारम्भ करने हेतु राज्य एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से संस्थागत वित्त उपलब्ध है। हुडको ऋण की सहायता से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में गत तीन वर्षों अर्थात् 1990–91 से 92–93 के दौरान बनाए गए एल आई जी और एम आई जी के मकानों का विवरण इस प्रकार है :–

शहर	1990–91		1991–92		1992–93	
	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी
कलकत्ता	140	172	112	592	—	160
बम्बई	1108	1910	1420	—	1142	472
मद्रास	3161	496	624	—	1024	198

दिल्ली : इन वर्षों के दौरान डी डी ए ने हडकों से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली। तथापि, इन वर्षों के दौरान डी डी ए द्वारा अपनी निधियों से बनाए गए एल आई जी और एम आई जी मकानों की संख्या इस प्रकार है :–

	1990–91		91–92		1992–93	
	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी
दिल्ली	2832	273	1615	1508	2776	1256

ई डब्लू एस और एल आई जी श्रेणियों के लिए क्रमश: 9% से 12% ब्याज की रियायती दरों पर निम्न आय वर्गों के लिए हडकों ऋण मुहैया कराया जाता है।

(ङ) आवास एजेंसियां, लाभार्थियों से रिहायशी एककों की लागत नकद आधार पर अथवा देय क्षमता को ध्यान में रखते हुए समान मासिक किस्तों में वसूल करती हैं।

Housing Schemes by HUDCO in Gujarat

1171. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any housing schemes have been formulated by the HUDCO in the towns of Gujarat during the last three years; and

(b) if so, the town-wise details and the targets achieved so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) HUDCO does not formulate any scheme for construction of houses directly. It only extends loan assistance for implementation of schemes formulated and submitted by various housing Boards/Development Authorities, etc. The town-wise details of loans sanctioned by HUDCO to different agencies of Gujarat during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 (upto 31-10-93) are given at annexure (*See* Appendix CLXIX, Annexure No. 31)

Pending cases under the Urban Land Ceiling Act

1172. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of cases pending under the Urban Land Ceiling Act in the country in the last three years; year-wise; State-wise and District-wise;

(b) the number of unauthorised constructions made so far in the country, especially in Delhi;

(c) what steps have been taken or proposed to be taken by Government to release land in the country and bring down high prices of land and houses in India for poor and common people; and

so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The implementation of Urban Land Ceiling Act lies with the State Govts. and in all cases State Govts. have been made respondents. The Govt. of India does not compile such information.

(b) The information regarding unauthorised construction all over the country is not compiled by the Govt. of India. However, in Delhi the number of buildings constructed illegally in violation of Municipal Bye-laws and unauthorised commercial complexes constructed in residential areas as also residential flats converted into unauthorised commercial establishments during the last three years as reported by MCD, NDMC and Delhi Cantonment Board in March, 1993 are